कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय का पताः—कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर लक्ष्मी निवास पैलेस के पास, लालगढ़ रोड़, बीकानेर

दूरभाष—0151.2226557 ईमेल— aayukt.ele@gmail.com

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शिप्र/4443/मुसयो/2023 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

विषय :— मुख्यमंत्री सम्बल योजना का मॉड्यूल "राज EXAM पोर्टल" पर ऑन लाईन आवेदन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि मुख्यमंत्री सम्बल योजना को DBT से जोडने की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मुख्यमंत्री सम्बल योजना का मॉड्यूल "राज EXAM पोर्टल" प्रारम्भ किए जाकर निर्देशित किया गया था कि आप अपने अधीनस्थ निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को विधवा/परित्यक्ता छात्राध्यापिकाओं का मुख्यमंत्री सम्बल योजना के तहत पुनर्भरण राशि हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्न कार्य करवाकर तत्पश्चात् सत्यापन उपरान्त निदेशालय को प्रेषित करावें।

- ऑनलाईन आवेदन करने की पोर्टल खोलने की दिनांकः 16.12.2025
- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथी दिनांकः 25.12.2025
- छात्रा के अध्ययन संस्थान द्वारा आवेदन ऑनलाईन सत्यापन की अंतिम तिथी दिनांकः 26.12.2025
- डाईट संस्थान द्वारा आवेदन ऑनलाईन सत्यापन की अंतिम तिथी दिनांकः 27.12.2025
- निदेशालय द्वारा आवेदन ऑनलाईन सत्यापन की अंतिम तिथी दिनांकः 30.12.2025

इस क्रम में आप अपने क्षेत्राधिकार में स्थित संस्थानों से ऑफलाईन आवेदन प्राप्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर ऑनलाईन सत्यापन करें।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजो की सूची—
1.आधार कार्ड की प्रति संलग्न करे।
2.जन आधार कार्ड की प्रति संलग्न करे।
3.अभ्यर्थी के बैंक पासबुक की प्रति संलग्न करे, जिसमें बैंक का नाम आईएफएससी कोड सुपाठ्य हों।
4. विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति संलग्न करे।

5.परित्यक्ता होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री संलग्न करें।

6. विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के पुर्नविवाह न करने का शपथ पत्र संलग्न करें शपथ पत्र में पति के नाम का भी उल्लेख हैं । (शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित हो) शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करे कि जिस वर्ष हेतु शुल्क पुनर्भरण का आवेदन किया जा रहा है उसका पूनर्भरण पूर्व में नहीं हुवा है।

7.परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के अलावा अधिकृत काजी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु तलाकनामें के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित तथा नोटेरी द्वारा तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करने होगें जो तलाक को प्रमाणित करते हो।

8.आवेदन के साथ कालेज आवंटन की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करे ।

9.कालेज द्वारा लिये गये शुल्क की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ।

10.ऑनलाईन भरे गये आवेदन की प्रति।

नोटः सभी डाईट प्राप्त ऑफलाईन आवेदन स्वयं के पास सुरक्षित रखें एवं इस कार्यालय को प्रेषित ना करें।

अतिरिक्त निदेशक
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
2. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर।

अतिरिक्त निदेशक
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर